

मांग संख्या 81
मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 1

राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के पूर्ति हेतु नगरीय निकायों को पात्रतानुसार अतिरिक्त अनुदान दिये जाने हेतु रूपये 548.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

राज्य शासन द्वारा प्रवेश कर से प्राप्त आगम से शहरी स्थानीय निकायों को पात्रतानुसार अनुदान हेतु रूपये 4250.00 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 42,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।